

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 26/2025

1. बबलू पुत्र संतराम जाति राजपूत निवासी शेरगढ़ तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़राज.
2. प्रदीप सिंह पुत्र संतराम जाति राजपूत निवासी शेरगढ़ संगरिया जिला हनुमानगढ़
-वादीगण

बनाम

1. सोमती देवी पत्नी संतराम
 2. रेखा कंवर पुत्री संतराम
 3. भवंर सिंह पुत्र नानू सिंह
 4. आशा देवी पत्नी अमर सिंह
 5. गिरधारी पुत्र अमर सिंह
 6. रामेश्वर पुत्र अमर सिंह
 7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा लीलावाली
 8. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।
- समस्त जाति राजपूत
निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 24.4.2026



यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हरबन्धा सिंह झोरड़ अभिभाषक वादीगण व श्री परविन्दर सिंह अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर वाद वादीगण मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण सं. 3, 5 ता 6 डिक्री किया जाता है कि :-
राजस्व तहसील संगरिया के चक नं. 14 एम.के.एस. खाता सं. 122/136, इसी चक 14 एम.के.एस. खाता सं. 123/54 जं.सं. 2070-73, चक नं. 15 एम.के.एस. खाता सं. 74/32 जं.सं. 2071-74, चक नं. 16 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 362/183 में प्रतिवादी सं. 1 ता 2 व 4 सोमती देवी, रेखा कंवर, आशादेवी, रामकुमार पुत्र अमर सिंह, अमर सिंह पुत्र नानूसिंह व सन्तराम पुत्र नानूसिंह का नाम उक्त खातो से कलमजन किया जाता है।
अतः वाद वादीगण मय काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण सं. 3, 5 ता 6 निम्नानुसार डिक्री किया जाकर रकमराज अलग से निर्धारित की जाती है :-

II. वादी सं. 1 बबलू व वादी सं. 2 प्रदीप सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काशत की ब.हि.ब. की कृषि भूमि :-

- | | |
|-----|--|
| (क) | चक नं. 14 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 123/54 |
| | प.नं. मु.नं. कि.नं. |
| | 173/240 50 19/0.253 है.प्र. नहरी |
| (ख) | चक नं. 15 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 74/32 |
| | प.नं. मु.नं. कि.नं. |
| | 168/231 6 12/0.101 है. नहरी |
| (ग) | चक नं. 16 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 362/183 |

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|--|
| 168/230 | 91 | 18/1/0.215, 23/2/0.215 है. |
| 168/231 | 99 | 2/1/0.057 है. कि. दक्षिण दिशा में इसी चक के कि.नं. 9/1 के उत्तरी दिशा में चिपता 9/1/0.215 है., 9/2/0.025 है. गै.मु. रास्ता कुल 1.081 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि। |

IV. प्रतिवादी सं. 3 भवंर सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की कृषि भूमि :-

चक नं. 14 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 123/54

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|---|
| 173/240 | 50 | 13/0.253 है.प्र. नहरी कुल 0.253 है. नहरी कृषि भूमि। |

चक नं. 15 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 74/32

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|--|
| 169/231 | 5 | 22/2//0.127 है. नहरी |
| 169/232 | 10 | 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.मय खाला कुल 0.380 है. मय गै.मु.। |

चक नं. 16 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 362/183

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|---|
| 168/230 | 91 | 22/0.253 है. |
| 168/231 | 99 | 2/1/0.171 है., 2/2/0.025 है. कुल 0.449 है. नहरी मय गै.मु.कृषि भूमि। कुल चारो खातो का महायोग 1.082 है. मय गै.मु. |

V. प्रतिवादी सं. 5 व 6 क्रमशः गिरधारी सिंह व रामेश्वर सिंह पि0 अमर सिंह के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की ब.हि.ब. की कृषि भूमि :-

चक नं. 14 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 122/136

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|--|
| 172/243 | 63 | 21,22/0.253 है.प्र. नहरी कुल 0.506 है. नहरी कृषि भूमि। |

चक नं. 15 एम.के.एस. जं.सं. 2070-73 के खाता सं. 74/32

| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
|---------|--------|---------------------------------|
| 168/231 | 6 | 19/0.253 है. नहरी कुल 0.253 है. |

कुल चारो खातो का महायोग 0.759 है. नहरी कृषि भूमि।

इसी अनुसार खाता विभाजन किया जाकर रकमराज अलग से कायम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज...~~X~~...निल...~~X~~...मुब्लिक...~~X~~...निल...~~X~~...बाबत...~~X~~...निल...~~X~~...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...~~X~~...को अदा करें। वसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 24.4.2021 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिवासी संगरिया
संगरिया